अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन–पत्र

परीक्षा वर्ष ..... क्रमांक .....

केवल कार्यालय उपयोग हेतु
प्राप्त रूपये .....
द्वारा ड्राफ्ट/रसीद नं.....
दिनांक .....
कोषपाल

कक्षा .....
(1) अनुक्रमांक .....
(2) नामांकनाकं. .....
पुर्नमूल्यांकन कराने हेतु प्रश्न पत्रों के नाम
1. विषय ..... प्रश्न पत्र क्र.....
2. विषय ..... प्रश्न पत्र क्र.....

सेवा में,
कुल सचिव
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे निम्नलिखित प्रश्न–पत्रों में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना कराये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

क्रमांक	विषय	प्रश्न–पत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक
1.				
2.				

आभ्यार्थी का विवरण :

1. छात्र का पूरा नाम .....
2. परीक्षा का नाम ..... वर्ष .....
3. अनुक्रमांक .....
4. नियमित/भूतपूर्व/स्वाध्यायी .....
5. केन्द्र का नाम .....
6. परीक्षा परिणाम .....
7. निर्धारित शुल्क कुल रूपये (अंको) में ..... (शब्दों) में .....
   विश्वविद्यालय कार्यालय में ड्राफ्ट/नगद जमा/क्र. .....
   दिनांक .....
8. (अ) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित की गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी वचनबद्धता देता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के तहत घोषित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का परिणाम पक्ष/विपक्ष में जो भी होगा मुझे स्वीकार्य होगा।
   (ब) मैंने सावधानी पूर्वक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के नियमों को पढ़ लिया है।
   (स) मै इस आवेदन के साथ उपर्युक्त परीक्षा के अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न रहा हूँ।

दिनांक ..... भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

पत्र व्यवहार का पता .....

.....

परीक्षा विभाग के प्रयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का परीक्षा परिणाम दिनांक ..... को घोषित किया गया था एवं अंक सूची दिनांक ..... को भेजी गई। अतः उसे पुनर्मूल्यांकन शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाती है।

वरिष्ठ अधीक्षक / सहायक कुलसचिव (परीक्षा) कार्य सहायक

सामान्य निर्देश

1. अभ्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन करने के प्रपत्र में छापे निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना आवेदक को परिणाम घोषित होने पर दी जावेगी।
2. परीक्षार्थी द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रथम बार जिन विषयों/प्रश्न पत्रों के लिए आवेदन किया है उन्हीं विषय/प्रश्न पत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराया जायेगा। किसी भी परिवर्तन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।
3. जो परीक्षार्थी अगली परीक्षा में पात्रतानुसार सम्मिलित होना चाहते है उन्हें पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा नही करनी चाहिए तथा अपना परीक्षा आवेदन पत्र घोषित तिथि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम के आधार पर उन्हें अगली परीक्षा हेतु आवेदन करने की सुविधा नहीं दी जावेगी किन्तु जिन अभ्यार्थियों–द्वारा निर्धारित समयावधि में परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा, उन्हें पात्रतानुसार अगली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा दी जावेगी, मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना होगा पूरक परीक्षाओं का नहीं।
4. पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस तक एवं अंकूसची निगर्मन की तिथि से 21 दिवस तक जो भी बाद में हो मान्य किये जावेंगे।
5. आवेदन–पत्र के साथ परीक्षार्थी मूल अंकसूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
6. पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति प्रश्न–पत्र रूपये 200/– शुल्क निर्धारित है जो किसी भी दशा में वापस नही किया जावेगा।
7. छात्र केवल दो प्रश्न–पत्रों में ही पुनः मूल्यांकन करा सकते हैं।
8. प्रायोगिक/मौखिकी/सत्रांक एवं लघुशोध प्रबंध के लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
9. पुर्नगणना के लिए प्रति प्रश्न–पत्र रू. 50/– निर्धारित है यह सुविधा समस्त प्रश्न पत्रों के लिए दी जा सकती है।
10. अंको की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की सूचना संबंधित छात्र को डाक द्वारा भेजी जावेगी।

पुनर्मूल्यांकन के नियम

यदि दो पुनर्मूल्यांकन के परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अंक मुख्य परीक्षक के अंको से पूर्णांक मे 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो सही परिणाम के लिए दो परीक्षकों के अंको का अंतर जो नजदीक होंगे पुर्नमूल्यांकन की गणना के लिए जोड़कर परिणाम घोषित किया जावेगा। इन्हीं दो नजदीकी अंको का औसत छात्र को प्रदान किया जावेगा।

पुनर्मूल्यांकन के अन्तर्गत यह भी शर्त रहेगी कि यदि 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के फलस्वरूप तीन में से दो परीक्षकों के अंको में समान अंतर है तो छात्र के लाभ हेतु अधिक अंक की गणना कर परिणाम घोंषित किया जावेगा।

कुलसचिव